

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-31/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अदनान अली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा, सारण का दिनांक-07.05.2022 से 05.10.2025 तक की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-07.05.2022 से 16.07.2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्राक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
ii	दिनांक-17.07.2025 से 22.07.2025 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
iii	दिनांक-23.07.2025 से 03.10.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
iv	दिनांक-04.10.2025 से 05.10.2025 तक	-	पदग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-31/2026-

2018(2)

पटना, दिनांक 14/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा, सारण / कोषागार पदाधिकारी, छपरा, सारण/डा० अदनान अली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. M. K. 12/8/26
सरकार के उप सचिव।

B